

भी नहीं की जाये। इस राष्ट्रीय समस्या का राष्ट्रीय स्तर पर हल निकाला जाय।”

(iv) WIDE SPREAD INCIDENCE OF MALARIA IN DELHI

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मन्त्री) :  
उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों मलेरिया जैसा भयंकर रूप धारण करता जा रहा है तथा जितनी तेजी से बढ़ रहा है उससे दिल्ली के अधिकांश भाग प्रभावित होने की सम्भावना बढ़ गई है, इस बात की धीरे सखन का ध्यान धाकवित करना चाहता हूँ। स्थिति यह है कि गत वर्ष मलेरिया रोगियों की संख्या लगभग 5,390 थी, जब कि इसी अवधि में अर्थात् 15 अप्रैल तक इस बार लगभग 34,000 लोग मलेरिया से पीड़ित दर्ज किए गये। इसका अर्थ यह हुआ कि इस बार मलेरिया में 6, 7 गुना वृद्धि हुई है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राजधानी के अन्दर मच्छरों की वृद्धि के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण, बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा विभिन्न ठेकेदार जिम्मेदार हैं। राजधानी में चल रही गन्दगी को समाप्त करने के लिए तथा मलेरिया की रोकथाम के लिए कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाये गये।

उपाध्यक्ष महोदय, अल्पके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान धाकवित करना चाहता हूँ कि दिल्ली के अन्दर जो निम्नी कोठियाँ हैं या सरकारी कोठियाँ हैं उनमें कमकी लकड़ में पशु रखे जाते हैं, उनके सेनीटेसन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सी० डी० टी० तथा अन्य दवाओं का छिड़काव करने के लिये कोई भी प्रभावकारी उपाय नहीं किया जा रहा है जिससे कि मच्छर नरें। अहाँ तक पता चला है कि जैसा कि “नवभारत टाइम्स” में छपा है कि गत नवम्बर को महापौर के आदेश से इस विभाग के सिविल साइन्स ओल कार्यालय पर धारे गये छापे से पता चला था विभाग के आठे कर्मचारी इस दिन छुटी पर थे, लेकिन

रजिस्ट्रों में उनके नामों के आगे उस दिन छिड़कने के लिए दिया गया तेल दर्ज था। इस से पता चलता है कि सारे मामले में काफ़ी भ्रष्टाचार है। और यदि इसी प्रकार से स्थिति चलती रही तो भगले दिनों में काफ़ी मलेरिया केस बढ़ेंगे और ऐसा लगता है कि अस्पतालों के अन्दर उनकी भारी भीड़ लगेगी। इसी समाचार के अनुसार जो संख्या धाकी गई है उस हिसाब से वर्ष के अन्त तक अस्पताल में जाने वालों की संख्या, रोगियों की संख्या गढ़े ग्यारह लाख तक पहुँच जायेगी। यह एक भयावह स्थिति का संकेत है।

इसलिए मैं मंत्री जी से कहूँगा कि इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने का प्रयत्न करेंगे तथा इस सम्बन्ध में सखन को भी अवगत करायेंगे।

(v) REPORTED ATTEMPT BY SUPPORTERS OF THE FORMER PRIME MINISTER TO DISTURB COURT PROCEEDINGS

श्री जगन्नुब चित्तारी (अधीनानाद) :  
उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन एक बहुत ही लोक महत्व के विषय को उठाना चाहता हूँ।

महोदय, दिनांक 18 अप्रैल को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में श्रीकै मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट, श्री पी० के० जैन के न्यायालय के समक्ष श्रीमती इन्दिरा गांधी के हज्रियर होने के समय उनके समर्थकों ने संघटित रूप से न्यायालय में घुसने तथा न्यायालय के काम में अस्तित्व करने का प्रयास किया जिसके रोकने पर सीनास पुलिस पर साठी पत्थर तथा अन्य क्रियद्वारों से हमला किया गया। ये क्रोध ह्राव में लक्षी लिए हुए चीखरी चरण सिंह और अस्तिम माह के विरुद्ध अयमाजजनक नारे लगाते रहे। इतना ही नहीं इन्होंने पुलिस कार्डन तोड़कर न्यायालय में घुसने का प्रयास किया और हंगामे के साथ न्यायालय की कार्यवाही को रोकने का भी प्रयास किया। इसी प्रकार की घटना “किन्सा कुर्सी का” फ़िरम के मामले में चल रही कार्यवाही के

[श्री राजबूषण तिवारी]

समय घटी जिसके के परिणाम-स्वरूप कार्यवाही एक घंटे तक के लिए रोकनी पड़ी। कांग्रेस (मार्क्स) तथा श्रीमती इंदिरा गांधी के समर्थक न्यायालय में घुस कर इंदिरा गांधी एवं संजय गांधी के समर्थन में नारे लगाकर न्यायालय के काम में हस्तक्षेप करने लगे। साथ ही न्यायालय के बाहर उसी मुकदमे से संबंधित एक गवाह के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया और उसे भ्रान्तिकल करने का प्रयास किया। इस प्रकार की घटनाएं जब घटे तो तीन प्रश्न सरकार के सामने आते हैं कि सरकार ने उस समय उचित व्यवस्था क्यों नहीं की और यदि प्रागे भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई तो न्यायालय का काम किस प्रकार सुचारू रूप से चल सकेगा? इन घटनाओं का प्रसर जन-मानस पर यह होता है कि कुछ लोग न्यायालय में शक्ति प्रदर्शन द्वारा न्यायालय से अपने को उच्चतर प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं और सरकार जब उन के कुत्सित प्रयत्नों को रोकने में सक्षम नहीं होती तो सम्भव है कि न्यायालय अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा से सम्पादित करने में सक्षम न हो सके। इसलिए सरकार को इस संबंध में शीघ्रातिशीघ्र उचित और प्रभावकारी कार्यवाही करनी चाहिए।

18. 32 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1978-79—  
contd.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND  
IRRIGATION—contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we revert to the Discussion and Voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Agriculture and Irrigation.

SHRI B. P. KADAM (Kanara): Sir, I had stated yesterday that agricultural production is the basis for all-round development of the country, as is envisaged in the western countries. I had also stated yesterday that the present Janata Government has absolutely no faith in the implementa-

tion of land reforms and all that they have been saying for land reforms is just paying lip sympathy. The minute the Janata Party got its majority here in Delhi, last March 1977, all the landlords throughout the country, including States where land reforms have been implemented, like Karnataka and others, were openly and violently stating that they would seize their land from the tenants, that they would collect rent and they would kick out the ryots. And that is exactly what has taken place.

During the Governor's Rule there in Karnataka, the Opposition which was always so vociferous against the implementation of land reforms, as clearly indicated when the Land Reforms Bill was on the anvil of the House, they again carried forward their agitation to see that the implementation was throttled. They prevailed upon the Government of India and prevailed upon the Governor to see that, from the Land Tribunals which were constituted by including public representatives having faith in land reforms and who were very keen to help the weaker sections, were deleted by an Ordinance by the Governor in spite of the clear warning given by the Chief Minister when the Government was dislodged. And what happened afterwards? The Governor had to eat humble pie and, crestfallen, he had to give a go-by to all that he had envisaged and all that he had in mind—even the idea of amending the Land Reforms Act itself by an Ordinance.

Sir, even in regard the Cooperative Statutory Laws there were certain representatives who represented vested interests. The weaker sections like the Harijans, Tribals and the minorities could not get representation and the benefit of the cooperative system could not go to them. Some nominations to these institutions were there, made by the Government, but they also were nullified by the Governor. I had stated yesterday that the report of the National Commission on Agriculture is a valuable report and I had also